


राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 86 /2020 दिनांक : 30.06.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./11/2020 दिनांक 27.01.2020 के द्वारा श्रीमती प्रीति मुकेश परनामी (RJ0626), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 01, भीलवाड़ा को दिनांक 20.01.2020 से 07.03.2020 तक 48 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 19.01.2020 एवं 08.03.2020 से 10.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 20.01.2020 से 28.01.2020 तक 09 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है ।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/06/2010/2676

दिनांक 30.06.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 6141 दिनांक 08.06.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती प्रीति मुकेश परनामी (RJ0626), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 01, भीलवाड़ा ।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 01, भीलवाड़ा ।
5. श्री मुकेश परनामी (RJ0633), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 02, भीलवाड़ा ।
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 02, भीलवाड़ा ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।


20.6.2020

सहायक रजिस्ट्रार